

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3079/11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, लखनऊ, दिनांक: मार्च 21, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० ०.००० से ३८.८५३ तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित २८.७०७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १५४९ वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित ८.२८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १२०० वृक्षों के पातन अर्थात् कुल ३६.९८७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २७४९ वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१८०/२०२३/एफ०सी०/५३८, दिनांक ०४.०३.२०२४, पत्रांक-११/१०९२/आर०ई०सी०/२०२४/उ०प्र० (पार्ट-२), दिनांक १६.०३.२०२४ एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-४१४३/१४-१०-४, दिनांक २१.०३.२०२४

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक-४१४३/१४-१०-४, दिनांक २१.०३.२०२४ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना इस अनुरोध के साथ ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3079 /11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
२. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
३. अधिशासी अभियन्ता, एन०एच० डिवीजन, लो०नि०वि०, कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:-
सेवा में,

५१५३ / १४-१०-४, लखनऊ, दिनांक २१ मार्च, २०२४

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-३३०डी) के कि०मी० ०.०० से ३८.८५३ तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्टर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित २८.७०७ हे० संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक १५४९ वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित ८.२८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १२०० वृक्षों के पातन अर्थात् कुल ३६.९८७ हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं २७४९ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, का पत्रांक-११/१०९२/आर०ई०सी०/२०२४/उ०प्र०(पार्ट-२)/दिनांक-१६.०३.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर ने आपत्तियों का निराकरण कर अपने पत्रांक-६१२९/१४-१ दिनांक-२०.०३.२०२४ द्वारा आख्या/अभिलेख प्रेषित किया गया है। जिसे ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार(ऑनलाइन)

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांक: 6129/141

सीतापुर, दिनांक 20-03-2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल

उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेव सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-11/1092/आर०ई०सी०/2024/उ०प्र० (पार्ट-2)/ दिनांक-16/03/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 07/03/2024 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की चतुर्थ बैठक में उक्त प्रपोजल पर विचार विमर्श किया गया तदोपरान्त क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी है जो निम्नानुसार है-

क्र०	आपत्ति	निस्तारण की स्थिति
1	Compensatory afforestation land shall be made free from all the encroachments and area to be fenced.	रोपण की जाने वाली भूमि पर कार्य कराने के दौरान यदि कोई अतिक्रमण पाा जाता है तो अतिक्रमण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
2	Solar pumps shall be installed aat the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.	रोपण क्षेत्र में पौधों की सिंचाई हेतु प्राक्कलन में सौर पम्प स्थापित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

भवदीय

(नवीन खण्डेलवाल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर

पत्रांक: / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन खण्डेलवाल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर